

प्रेषक,

रवि कान्त- ॥
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथम
प्रयागराज।

सेवा में,

श्रीमान महा निबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा-

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
प्रयागराज।

विषय-

पत्रांक 9691/IV-F-82(Pension)/Admin.(A), Dated: July 16, 2024
के संबंध में -


महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषय पर सादर अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या - 14/2024/ सा-3-243/ दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के द्वारा सरकारी सेवकों से पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने का विकल्प मांगा गया है। अधोहस्ताक्षरी की प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति माह नवम्बर 2003 में जारी हुई थी तथा दिनांक 26 मई 2006 को नियुक्ति हुई है। अधोहस्ताक्षरी पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होना चाहता है, जिसके लिये विकल्प पत्र पूर्ण कर, भेजा जा रहा है।

अतः श्रीमान जी से सादर अनुरोध है कि कृपया विकल्प पत्र को माननीय न्यायालय के समक्ष, सहमति/संस्तुति प्रदान किये जाने हेतु, रखने की महती कृपा करें।

सादर

दिनांक-20.07.2024

भवदीय,

(रवि कान्त ॥)
20/07/24

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), प्रथम
प्रयागराज।

Office of the District Judge, Prayagraj
Letter No. 2669/F Dated 22-07-24

Forwarded

District Judge, Prayagraj
20/7/24

विकल्प पत्र

1. नाम	-	-	रवि कान्त - II (RAVI KANT - II)
2. वर्तमान पदनाम	-	-	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथम,
3. वेतनमान	-	-	रु० 1,63,030.00
4. वर्तमान विभाग का नाम	-	-	न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	-	-	न्याय विभाग
6. विज्ञप्ति की तिथि	-	-	22-28 नवम्बर, 2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	-	-	26/05/2006
8. योगदान की तिथि	-	-	16/06/2006
9. जन्म तिथि	-	-	15/02/1974
10. सेवानिवृत्ति की तिथि	-	-	28/02/2034

मैं, रवि कान्त- II पुत्र श्री हरदेव सिंह कुशवाहा, शासनादेश संख्या - 14/ 2024/ सा-3-243/ दस-2024/301 (1)/ 2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।


20/07/24

रवि कान्त - II

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथम,
प्रयागराज

घोषणा पत्र

मैं रवि कान्त- II, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथम, प्रयागराज, यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।


20/07/24

रवि कान्त - II

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथम,
प्रयागराज

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री रवि कान्त ॥, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)
प्रथम, प्रयागराज को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु
इस विभाग की संस्तुति / सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष की संस्तुति